संख्या : जी-2–799/दस-2003-604–82

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2003

विषय :–अवकाश यात्रा सुविधा को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा–(2)-सा–4–जी0आई0-6/दस–2001–604-82, दिनांक 30 मई, 2001 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अवकाश यात्रा सुविधा को दो वर्ष के लिये निलम्बित कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय अवकाश यात्रा सुविधा को, सुसंगत नियमों तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेश में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों को यथावत रखते हुये शासनादेश दिनांक 30 मई, 2001 द्वारा प्रतिबन्धित दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, दिनांक 30 मई, 2003 से बहाल किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,
आनन्द मिश्र,
सचिव।

संख्या : जी-2–799(1)/दस-2003-604–82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2–महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् विधान भवन, लखनऊ।
4–निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
5–शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
6–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7–समस्त मुख्य कोषाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8–उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों के यहां तैनात वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारीगण।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 22 सा0 वित्त–4-6-2003–(429)–10,000 प्रतियां–(आफसेट)।